राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– ललित मीना (आर0 ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 30 / 2021

1–एस.एन.एजूकेशन सोसायटी धौलपुर अध्यक्ष सुभाषचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी घन्टाघर के सामने धौलपुर कोषाध्यक्ष बृजेश कुमार त्यागी पुत्र भीखाराम त्यागी धौलपुर

.................प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंपऊ ....अप्रार्थी

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट सैंपऊ ★

प्रार्थना पत्र आधीन धारा 131 एल.आर.एक्ट वास्ते संशोधित किये जाने तरमीम

उपस्थिति– 1–श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट– प्रार्थी

निर्णय **दिनांक: 08.02.2023**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम दुरस्ती किये जाने बाबत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 199 के खसरा संख्या 36 रकवा 0.2403 हैक्टेयर ग्राम गढ़ी–चटोला में स्थित है। विवादित कृषि भूमि के बजानिव पूर्व व दक्षिण कोने में खसरा संख्या 36 / 927 लगा हुआ है तथा पूर्व नक्शा अक्स में भी इसी प्रकार का अंकन रहा तथा प्रार्थी की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि के बजानिव दक्षिण में रास्ता खसरा नम्बर 52 लगा हुआ था। राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से उक्त नक्सा अक्स का सेग्रीगेसन किये जाते समय विवादित कृषि भूमि के पूर्व दक्षिण कोने में स्थित खसरा संख्या 36 / 927 को विवादित कृषि भूमि के बजानिव दक्षिण में अंकित कर दिया गया है जिससे पूर्व नक्सा अक्स की स्थिति बदल गई एवं प्रार्थी के सामने बजानिव दक्षिण रूप से अंकित कर दिया है जबकि मौके पर प्रार्थी का कब्जा व उपयोग–उपभोग है उक्त भूमि से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा न वर्तमान में है ना कभी कोई कब्जा रहा ना कोई उपयोग–उपभोग ही रहा है। प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम व सेग्रीगेसन की कोई जानकारी किसी प्रकार से नहीं रही ना ही राजस्व कर्मचारियों ने किसी प्रकार की कोई सूचना प्रार्थी को दी बल्कि पीछे बैक पर नक्सा अक्स विवादित कृषि भूमि के राजस्व नक्सा अक्स में गलत तरमीम सेग्रीगेसन में की गई जिसे न्यायहित में संशोधित किया जाना न्यायहित में

उप जिला कलक्टर
सैंपऊ

आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त तरमीम व सेग्रीगेसन की जानकारी प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि में निर्माण हेतु कार्यवाही करने के लिए सत्य प्रति नक्सा अक्स 5 दिवस पूर्व ली तो जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी ने हल्का पटवारी व तहसीलदार महोदय को संशोधित करने का अनुरोध किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय से संशोधित कराने को निर्देशित किया। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि के राजस्व नक्से में गलत तरमीम को संशोधित किया जाकर पूर्व नक्से के अनुसार विवादित कृषि भूमि के बजानिव पूर्व में पूर्वानुसार खसरा नम्बर 36/927 का अंकन किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जबाब तहसीलदार सैपऊ से तलब किया गया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्र क्रमांकःराजस्व/2023/332 दिनांक 02.02.2023 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया।

हमने विद्वान प्रार्थी अभिभाषक एवं तहसीलदार सैपऊ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2076—79 वाकेग्राम गढ़ी—चटोला के आराजी खसरा नम्बर 36 रकवा 0.2403 हैक्टेयर एस.एन. एजूकेशन सोसायटी धौलपुर अध्यक्ष सुभाषचन्द शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा जाति ब्राह्मण सा0 घन्टाघर के सामने धौलपुर कोषाध्यक्ष बृजेश कुमार त्यागी पुत्र भीखाराम त्यागी हिस्सा पूर्व खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2076—79 वाकेग्राम गढ़ी—चटोला के आराजी खसरा नम्बर 36/927 रकवा 0.0506 हैक्टेयर कुमरसेन किशनभारती भुक्र मवसिया, रामभारती, रामवीर, रामेश्वर पिसरान उमराय हि0ब0 49/135 सूरज पुत्र खुन्नी हिस्सा 7/135 हरभेजी पत्नी चेतन हिस्सा 7/135 जाति गुंसाई सा0 देह खातेदार छुट्टन पुत्र परमा हिस्सा 389/3600 मुन्नालाल पुत्र परमा हिस्सा 1423/14400 रामजीलाल पुत्र परमा हिस्सा 1/5 लच्छो पत्नी धूरिया हिस्सा 607/4800 जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के साथ संलग्न नक्सा लट्ठा की छायाप्रति में खसरा नम्बर 36 के दक्षिण पूर्वी कोने में खसरा नम्बर 36/927 अंकित है। जबकि सेग्रीगेसन के बाद तैयार शुदा नक्सा शीट में खसरा नम्बर 36 के दक्षिण में खसरा नम्बर 52 गै.मु.रास्ता से सटकर खसरा नम्बर 36/927 अंकित कर दिया गया है। मौके के अनुसार खसरा नम्बर 36 के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित खसरा नम्बर 36/927 के खातेदार का मौके पर कब्जा है। मुताबिक छायाप्रति नक्सा लट्ठा (पुराना) व नवीन नक्सा शीट में अन्तर होने के कारण शुद्धि किये जाने की अभिसंशा की गयी। एवं प्रस्तुत जबाब के साथ मौके के कब्जे अनुसार तरमीम नक्सा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उप जिला कलक्टर
सैपऊ

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 36/927 रकवा 0.0506 हैक्टेयर वाकेग्राम गढ़ी–चटोला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के नक्शा अक्स में वर्तमान में हुई गलत तरमीम को कब्जे के प्रस्तावित नक्से अनुसार दुरस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **08.02.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट सैपऊ

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ